

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर


—::— आ दे श —::—

क्रमांक बी/5573 /  
पांच-3-12/57 (आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर, 2019

निर्देशानुसार शंकर शाह नगर, जबलपुर में स्थित शासकीय आवासगृहों में निवासरत उच्च न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण दिनांक 15/11/2019 तक आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणापत्र प्रस्तुत करते हुये रजिस्ट्री को अवगत कराये कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अर्न्तगत उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का कोई आवासगृह है अथवा नहीं ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार



(सनत कुमार कश्यप)


रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

पृष्ठां. क्रमांक बी/5574 /  
पांच-3-12/57 (आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :-

- 1/ असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 2/ प्रभारी (पेन्शन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 3/ सहायक (सेवापुस्तिका), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सनत कुमार कश्यप)

रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

## घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....आत्मज/पति.....  
.....उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में पदनाम.....के पद पर  
पदस्थ हूँ। मुझे उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक.....दिनांक.....के द्वारा  
शंकर शाह नगर, जबलपुर में शासकीय आवासगृह क्रमांक जी/एच/आई (चयनित श्रेणी पर  
सही का निशान लगाये) क्रमांक.....आवंटित किया गया है।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि जबलपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत मेरे  
अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम स्वयं का आवासगृह उपलब्ध है /उपलब्ध नहीं  
है (चयनित विकल्प पर सही का निशान लगाये)।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

अनुभाग का नाम .....